परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 2039 /2917/2015/19/यो भोपाल, दिनांक 15.04.2015

प्रति,

1 प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन भोपाल

2 समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
.... परिक्षेत्र ....

3 मुख्य अभियंता,
म0प्र0 सड़क विकास निगम,
अरेरा हिल्स भोपाल

विषयः मंथन–2014 की अनुशंसाओं के कम में परियोजनाओं के संबंध में वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तैयार करना।

–0–

राज्य शासन एतद द्वारा मंथन 2014 की अनुशंसाओं के कम में परियोजनाओं का चयन, परियोजनओं सुदृढीकरण एवं निर्माण कार्यो के रख रखाव के लिये निम्नानुसार वस्तुनिष्ठ मापदण्ड निर्धारित करता है :-

नई परियोजनाओं का चयन

विभाग में नए निर्माण में उन मुख्य जिला मार्गो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये जिसका कस्ट फेल हो चुका है और जिन्हें पुर्ननिर्माण किया जाना आवश्यक है। ऐसी सभी सड़कों में से निम्नानुसार प्राथमिकता दी जायेगी –

1. ब्लॉक मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय को जोडने वाली सड़कें।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग से दूसरे राष्ट्रीय राजमार्ग को जोडने वाली सडकें।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग को राज्य मार्ग से जोडने वाली सडकें।
4. राज्य मार्ग से दूसरे राज्य मार्ग को जोडने वाली सडकें।
5. टूरिस्ट, औद्योगिक या धार्मिक महत्व को जोडने वाले मुख्य जिला मार्ग।
6. किसी ऐसे स्थान को जोडने वाले मुख्य जिला मार्ग जहॉ पर शैक्षणिक या चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो।

उपर्युक्त प्राथमिकताओं में यदि एक से अधिक मुख्य जिला मार्ग आते है तो उन्हें प्राथमिकता वाहन घनत्व (पी.सी.यू.) के आधार पर दी जावेगी।

ग्रामीण मार्ग

ग्रामीण मार्गो में उन मार्गो को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी गॉव के एक मुख्य पहुंच मार्ग हो और जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के तहत इस आधार पर नहीं लिया गया था कि यह योजना के आने के पूर्व ही सडक निर्मित हो गई थी। इस सडक की स्थिति वर्तमान में ठीक न हो तथा कस्ट फेल हो जाने के कारण रिन्युवल कार्य नहीं किया जा सकता हो।

गांवों के पहुंच मार्ग का चयन उस जिले में ऐसे निर्माण किये जाने वाले पहुंच मार्गो से जुडने वाली आबादी के आधार पर किया जावेगा।

Renewal का कार्य:

1. ऐसी सड़कें जिनका पुनर्निर्माण हाल के वर्षो में किया गया हो और जो Performance guarantee की अवधि के बाहर हो गए है, उनका Renewal प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
2. जिन सडकों का Renewal किया जा चुका है एवं Performance guarantee के बाहर है, उन्हें दूसरी प्राथमिकता में रखकर संधारित किया जाए।
3. जो सडक वार्षिक संधारण में है और जिसे B.T. Renewal द्वारा अच्छी स्थिति में रखा जा सकता है, उनका Renewal उपर्युक्त के पश्चात किया जाए।
4. किसी भी हाल में Non BT सडक को Renewal के अंतर्गत न लिया जाए। ऐसे कार्य नव निर्माण की Category में रखकर पूर्ण Crust की जॉच कर IRC के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप उसका निर्माण किया जाए।

नोटः– नवीनीकरण हेतु मार्गो के किलोमीटर्स का चयन करते समय उपरोक्त प्राथमिकता बिन्दुओं के अतिरिक्त रिन्युवल साइकल का भी ध्यान रखा जाए।

सडकों का मजबूतीकरण

मजबूतीकरण में वे सडकें ली जाएगी जिनका क्रस्ट फेल नहीं हुआ हो किन्तु वाहनों के घनत्व के कारण जिन पर Over lays की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। मजबूतीकरण हेतु सामान्यतः MDR's को ही लिया जायेगा। MDR's के बीच प्राथमिकता का निर्धारण पुनर्निर्माण के लिए तय मापदण्ड अनुसार किया जाएगा। अपवाद स्वरूप ग्रामीण सडकों को ही लिया जा सकेगा।

सडकों के नवनिर्माण, मजबूतीकरण एवं Renewal में 5 साल की Performance Guarantee एवं Maintenance की शर्त ठेकों में आवश्यक रूप से रखी जाए।

उपरोक्त मापदण्डो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

सहपत्रः– 0

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
13.4.2015
(सी0 पी0 अग्रवाल)
सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ0कमांक 2040 /2917 /2015/19/यो भोपाल, दिनांक 15,04,2015

प्रतिलिपिः–

1– समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, ... मण्डल ....
2– समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, ... संभाग ....
3– निज सचिव, मान0 मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग की ओर सूचनार्थ (केवल क. 3 के लिए) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्रः– 0

13.4.2015
सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग